

पंजीयन क्रमांक 1878/2019

दिनांक 24.06.2019

डिस्पेंच नं. 87

दिनांक 24.06.2019

राजस्थान सरकार

प्रपत्र (फार्म) संख्या-7

निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएँ राजस्थान, जयपुर



गौशाला पंजीयन प्रमाण-पत्र

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

श्री सच्चा तेरा सहारा गौ सेवा समिति

ग्राम बांधा पोस्ट बांधा

तहसील जैसलमेर जिला जैसलमेर के सम्बन्ध में।

चूंकि श्री रायब खां (अध्यक्ष) न्यासी (ट्रस्टी)
गौशाला श्री सच्चा तेरा सहारा गौ सेवा समिति ने राजस्थान
गौशाला अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गौशाला
के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं आवश्यक जांच करने के बाद मैं संतुष्ट हो गया हूँ।
आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही व सत्य है। अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के
अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गौशाला पंजीयत (रजिस्ट्रार) करली गई है।

आज दिनांक चौबीस माह जून वर्ष दो हजार ठन्नीस

[24-06-2019]



रजिस्ट्रार गौशाला एवं संयुक्त निदेशक
(गौशाला पंजीकरण एवं मरल सुधार कम गौशाला विकास अधिकारी)
निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50

FIFTY
RUPEES
Rs. 50

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

शपथ पत्र/बन्ध पत्र का (AFFIDAVIT/BOND) प्रारूप

BC 524445

मैं रायब खां पुत्र श्री बचले खां धारित पद अध्यक्ष उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम बांधा तहसील व जिला जैसलमेर (राज.) शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि :-

- 1- मेरी संस्था का नाम सच्चा तेरा सहारा गौ सेवा समिति, बांधा जिला जैसलमेर है। इस संस्था का राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन क्रमांक COOP/2018/jaisalmer/100091 दिनांक 23.07.2018 तथा राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 के अन्तर्गत पंजीयन क्रमांक 1878/2019 दिनांक 24.06.2019 है।
- 2- मेरी गौशाला /कांजी हाउस के संचालन का स्थान बांधा तहसील व जिला जैसलमेर है।
- 3- मेरे पशु शिविर में वर्तमान में संवत् 2078 की अभाव अवधि के दौरान लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा छोड़े गये 183 बड़े 17 छोटे कुल 200 पशु संधारित हैं।
- 4- मुझे ज्ञात है कि जिला कलक्टर/राज्य स्तर से मेरे घोषित पशु शिविर/चारा डिपो का आकस्मिक निरीक्षण/विडियो ग्राफी करवाई जा सकेगी।
- 5- मैं भलीभांति परिचित हूँ कि आकस्मिक निरीक्षण/विडियो ग्राफी के दौरान बताई गई पशु संख्या में यदि कमी/अनियमितता पाये जाती है तो मेरे व मेरी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
- 6- मैं पशु शिविर/चारा डिपो की स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की पूर्णतः पालना करूंगा।
- 7- जिले द्वारा समय-समय पर दी गई सभी शर्तों का मैं पूर्णतः पालन करूंगा।

Keshar Singh Bhati
Notary Public Zirmynal

सच्चा तेरा सहारा गौ सेवा समिति
बांधा (जैसलमेर)

शपथग्रहिता

मैं रायब खां पुत्र श्री बचले खां धारित पद अध्यक्ष उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम बांधा तहसील व जिला जैसलमेर (राज.) शपथपूर्वक गवाह करता हूँ कि उपर्युक्त संख्या 1 से 7 तक दिये गया विवरण सत्य है।



SIGNATURE/ASSESTE

Keshar Singh Bhati
Notary Public Zirmynal

सच्चा तेरा सहारा गौ सेवा समिति
बांधा (जैसलमेर)

28/3/20